## मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

---

**प्रकीर्ण वाद संख्या** २५३/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं.२३४/२०१८)
श्रीमती रुकिया बनाम अनीस खाँ आदि
<u>२४.१२.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती रुकिया द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका लोक अदालत में निर्णीत हो चुकी है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध न तो कोई अपील है और न ही कोई स्टे है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमाशुदा धनराशि ₹ ५,२०,००० उनके खाते में, जिनका विवरण प्रार्थनापत्र में अंकित है, में भेजे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२, अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियां दाखिल की गई हैं।

प्रार्थिया रुकिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २३४/२०१८ श्रीमती रुकिया बनाम अनीस खाँ आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। एम.ए.सी.पी. सं.२३४/२०१८ की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत यचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को **ई लोक अदालत** में सुलहनामा के आधार पर ₹ ५,२०,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थिया/याचिया श्रीमती रुकिया को २० प्रतिशत धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए उसके बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा शेष धनराशि की एन्युटी ३ वर्ष के लिए बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री संजय कंचन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार दिनाँक ०४.११.२०२० को पी.एन.बी. झोकन बाग, झाँसी में कार्यालय पंजिका के अनुसार UTR No. BKIDH20346464735 Date 11.12.2020 से ₹ ५,२०,००० जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थिया द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्रार्थिया प्रस्तुत याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ५,२०,००० मय अब तक अर्जित ब्याज को जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उसके बैंक खाते में नकद व वर्णित एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत उठा पाने की अधिकारी है।

**<u>आदेश</u>**

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २३४/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २५३/२०२० श्रीमती रुकिया बनाम अनीस खाँ आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

| Applicant/ Petitioner | Amount in ₹ | +(%of) Interest Accrued on Deposited Amount | Mode of Disbursment | Bank Account Number | Bank | IFSC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Smt. Rukiya | 416000 | 80 | Annuity for 3 years | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 1. Smt. Rukiya | 104000 | 20 | Elect. Mode RTGS/NEFT | 30319458059 | SBI Branch Karari, Jhansi | CBIN0007477 |
| Total | 520000 | 100 | | | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

UTR No. added

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी

PO, MACT, JHANSI